फर्द अहकाम

इन्दुबाला बनाम मोहन शर्मा व अन्य

ंख्या: 99/2021

	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
24	पत्रावली पेश हुई। उभयपक्षकारान उपस्थित। प्रतिवादी संख्या 1, 4 की ओर से जवाब दावा पेश किया जो शामिल मिसल है। प्रतिवादी सख्या 2 व 3 बावजूद तामिल उपस्थित नही होने पर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी। पत्रावली में बहस उपस्थित अधिवक्ता सुनी गई। दौराने बहस वादीगण अधिवक्ता ने वाद मे अंकित तथ्यों को दौहराया एवं अंत में निवेदन किया कि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जाये कि वे वादिनी के कब्जे एवं खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नम्बर 269/5 रकबा 0.26 हैक्टेयर ग्राम मानपुर टीलावाला तहसील सांगानेर जिला जयपुर में चारों तरफ बाउण्ड्रीवाल में तोडफोड ना करें, ना वादिनी के शान्तिपूर्वक उपयोग–उपभोग में किसी भी प्रकार की बाधा कारित करे, ऐसा न तो स्वयं करे ना ही अपने एजेन्ट्स सर्वेन्ट आदि से करे व करावे। बहस वादीगण एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर वादीगण का वाद स्वीकार किया जाता है। वादी सीमाज्ञान का प्रार्थना तहसीलदार सांगानेर को पेश करे। तहसीलदार सांगानेर को आदेश दिये जाते है कि वादी से सीमाज्ञान का प्रार्थना पत्र लेकर वादी की वाके ग्राम मानपुर टीलावाला तहसील सांगानेर जिला जयपुर में स्थित वादिनी के कब्जे एवं खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नम्बर 269/5 रकबा 0.26 हैक्टेयर की वादिया की ओर से पेश सीमाज्ञान प्रार्थना पत्र के आधार पर सीमाज्ञान कर सीमाचिन्ह निर्धारित करे। सीमाज्ञान होने के पश्चात् प्रतिवादीगण को पाबन्द किया जाता है कि वादिया की भूमि की सीमा में दखल नही दे। प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 09.10.2024 को सुनाया गया। Signature Not Verified Digitally signed by Himmat Singh Date: 2025.04.04 11:59:12 IST Reason: SelfAttested (हिम्मत सिंह) आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी जयपुर-द्वितीय (सांगानेर), जयपुर	